

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर मुकाम अलवर
 रामकेश मीणा बनाम विजय कुमार वगैरा

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट,

मु० नं०सन -2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
30-05-23	<p>वकील प्रार्थी श्री सचिन खत्री एडवोकेट के साथ प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी/प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली व राजस्व रिकार्ड की नकलात व वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर गौर करने पर प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन, अपूर्ण क्षति प्रार्थी के पक्ष में पाये जाते है। अतः अप्रार्थीगणों को जय्य अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 03-07-23 तक पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 812/285 रकबा 0.20 है०, वारानी 2, 814/290 रकबा 0.13 है० बा०2 कुल कित्ता 2 रकबा 0.33 वाके ग्राम केसरपुर, तहसील अलवर व जिला अलवर की मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे</p> <p>प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण की तलबी नोटिस तलबाना पेश हो। क्यों ना उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा (Absolute) कर दिया जावे। यदि कोई आक्षेप हो तो न्यायालय में दिनांक 03.07.2023 को उपस्थित होकर पेश करे। पत्रावली दिनांक 03.07.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी अलवर</p> <p>03/7/23 पत्रावली के बाद क्विटर वारी/वकील वारी ने उपस्थित होकर डा०पत्र प्रस्तुत किया कि पत्रावली में कोई कालेवारी बाब नही पाये है पत्रावली को बोट उस करवा पायता है। वारी/वकील वारी को लुजा गया कापी खबर करके के उपरान्त डा०पत्र लीकित किया जाता है अतः बाद वारी क्वी लर पर बोट उस के खादित किया अतः है पत्रावली के बाद ले काय हो बाद तक वारी पत्रावली दाखिल दफ्तर हैवे।</p>	<p style="text-align: right;">MO + P...</p> <p style="text-align: right;">23</p> <p style="text-align: right;">रामकेश मीणा</p>

उपखण्ड अधिकारी
अलवर